न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
पीठासीन अधिकारी– श्री प्रमोद कुमार सिंधव, आर०ए०एस०

प्रकरण संख्या : 83 / 15

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 केशोराम जी, जाति राजपूत आयु 55 वर्ष निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार लाडपुरा , नायब तहसील मण्डाना जिला कोटा
2 वन विभाग कोटा, जरिये मण्डल वन अधिकारी कोटा

(प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

उपस्थिति : वादी वकील श्री शम्भू दयाल विजय
प्रतिवादी वकील श्री गोविन्द सिंह

दिनांक : 12.09.2017

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि वादी की गैर खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 34 की रकबा 10 बीघा सेटलमेन्ट से पूर्व दर्ज रिकार्ड थी, जिसके सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 6 बनाऐ गये है, और उक्त आराजी पर वादी पूर्ववत यथावत काबिज चला आ रहा है जो आरजी वाके ग्राम कोलाना तहसील लाडपुरा में स्थित है। उक्त आराजी वादी को दिनांक 19.6.72 को आवंटन हुई थी और आवंटन नियमों के अनुसार 10 वर्ष के बाद खातेदारी प्रदान करने का प्रावधान है, चूँकि उक्त आराजी का नामान्तकरण सं0 77 दिनांक 30.12.78 को गैर खातेदारी का खोला गया था, और उसके बाद मय नक्शा पासबुक भी जारी कर दी गई थी। जिस पर 10 वर्ष पूर्ण होने के उपरान्त कानूनन स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है और इसलिये वादी उक्त भूमि को गैर खातेदारी से अपने खातेदारी में दर्ज कराकर खातेदार घोषित होने व इन्द्राज दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। उक्त आराजी ख0नं0 34 पुराने के सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 6 कायम किये गये है, जिस पर वादी पूर्ववत यथावत काबिज चला आ रहा है। किन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने बाद सेटलमेन्ट गलत रूप से वादी के खातेदारी में दर्ज नहीं कर सिवायचक दर्ज कर दिया, जबकि सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व रिकार्ड को यथावत रखा जाना आवश्यक था और क्योंकि सेटलमेन्ट विभाग को एक्जेस्टिंग रिकार्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है और उसके द्वारा किया गया इस प्रकार का कृत्य कानूनन प्रारम्भ से ही प्रभाव शून्य होने से वादी गत ख0नं0 34 से बने नये नम्बर 6 की 10 बीघा यानि 1.60 है0 भूमि पूर्ववत अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

आराजी ख0नं0 34 से बने नये नम्बर 6 को सेटलमेन्ट विभाग ने गलत रूप से सिवायचक दर्ज कर दिया और उस पर नायब तहसीलदार मण्डाना ने मिसल सं0 25/01 दिनाक 07.02.2001 को बेदखली का आदेश वादी के विरूद्व पारित कर दिया, जिसके विरूद्व वादी द्वारा जिला कलक्टर कोटा के यहां अपील सं0 22/02 प्रस्तुत की गई, उक्त अपील दिनांक 06.08.2002 को माननीय जिला कलक्टर कोटा द्वारा स्वीकार कर बेदखली का आदेश निरस्त करते हुये पूर्ववत इन्द्राज दुरूस्ती कर वादी के गैर खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया गया था, किन्तु आज तक भी तहसीलदार लाडपुरा एव नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा आदेश की पालना नहीं की गई, इसके विपरीत भूमि सिवायचक होने का नाजायज फायदा उठाते हुये नामान्तरकरण सं0 138 से उक्त आराजी दिनांक 20.09.2010 को प्रतिवादी नं0 2 वन विभाग के खाते दर्ज का दी है, जो कि सेटलमेन्ट द्वारा की गई गलती के परिणामस्वरूप होने से नामान्तरकरण सं0 138 भी प्रारंभ से ही प्रभावशून्य होने की वजह से निरस्त किये जाने योग्य है, तथा वादी गत ख0नं0 34 से बने नम्बर 6 की 1.60 है0 भूमि रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती कराकर अपने खातेदारी में दर्ज कराने का अधिकारी है। उक्त आवंटनशुदा आराजी गत ख0नं0 34 जिसके हाल नये नम्बर 6 कायम किये गये है और जिस पर पूर्व में नक्शे के अनुसार जहां पर वादी को कब्जा संभलाया गया था, वही पर आज भी पूर्ववत यथावत वादी काबिज चला आ रहा है, जो वर्तमान रकबे अनुसार 1.60 है0 है, इसलिए ख0नं0 6 की भूमि में से 1.60 है0 भूमि जहां पूर्व में वादी काबिज चला आ रहा है, उसी जगह की भूमि 1.60 है0 वादी के खाते दर्ज कराने का वादी अधिकारी है।

उक्त आराजी सिवायचक से नामान्तरकरण सं0 138 से गलत रूप से प्रति0 नं0 1 द्वारा प्रति0 नं0 2 वन विभाग के दर्ज कर दिये जाने से प्रतिवादी क्रम 2 रिकार्ड में नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर वादी को ताकत के बल पर आराजी ख0 नं0 6 की 1.60 है0 से बेदखल करने की धमकी दे रहा है, और उसे रोके जाने हेतु वादी को यह वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। इस सम्बन्ध में वादी ने राजस्व अधिकारियों से कई बार दुरूस्ती इन्द्राज कर नये ख0नं0 6 की 1.60 है0 भूमि वादी के खाते दर्ज किये जाने तथा प्रति0 नं0 2 के खाते से हटाये जाने हेतु निवेदन किये, किन्तु राजस्व अधिकारियों द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती नहीं की, और दिनांक 06.07.2015 को तहसीलदार सा0 लाडपुरा द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, और शीघ्र ही वादी को उक्त आराजी से बेदखल करने की धमकी दी है, इसलिये वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का भी अधिकारी है। स्टेट ऑफ राजस्थान लेण्ड होल्डर होने से वाद में आवश्यक पक्षकार है, जिसके विरूद्व वाद पेश करने से पूर्व धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस मियादी दो माह का प्रैषित किया जाना आवययक है, किन्तु वाद अर्जेन्ट नेचर का होने से नोटिस दिया जाना संभव नहीं है, और इस हेतु पृथक से धारा 80(2) सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र अनुमति हेतु पेश किया गया है। प्रस्तुत वाद का कारण वादी को आवंटनशुदा गैर खातेदारी की आराजी को दौराने सेटलमेन्ट सिवायचक दर्ज कर दिये जाने और तदुपरान्त राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत रूप से प्रति0 नं0 2 वन विभाग के नाम दर्ज कर दिये जाने तथा वादी द्वारा अनेकों बार दुरूस्ती इन्द्राज करने का निवेदन करने के बावजूद दुरूस्ती इन्द्राज नहीं करने तथा दिनांक 06.07.2015 को इन्द्राज दुरूस्ती से इनकार करते हुये शीघ्र ही आराजी से वादी को बेदखल करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के न्याय क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

वादी की उक्त आराजी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से प्रस्तुत वाद को सुनने का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में, प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावे –

वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी गत ख0नं0 34 की 10 बीघा वाके ग्राम कोलाना उप तहसील मण्डाना तहसील लाडपुरा जिसके सेटलमेन्ट बाद नये नम्बर 6 कायम किये गये है, उस ख0नं0 6 की 1.60है0 आराजी का खातेदार वादी को घोषित करते हुये उक्त 1.60है0 रकबा प्रतिवादी नं0 2 के खाते से हटाया जाकर वादी के खातेदारी में दर्ज किया जावे, तथा इसी अनुरूप रिकार्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद किया जावे। प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे, कि राजस्व रिकार्ड में किये गये गलत इन्द्राज के आधार पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 वादी की गैरखातेदारी की कब्जेशुदा आराजी ख0नं0 नये 6 की 1.60 है0 पर जहां वह पूर्व से काबिज है, उस पर वादी के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में प्रतिवादी नं0 2 ताकत के बल पर किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करे और न वादी को उक्त आराजी से बेदखल करे। ऐसा कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न अपने प्रतिनिधियों, कर्मचारियों एवं एजेन्टों से करावे।

प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि यह तथ्य स्वीकार है कि ख0नं0 6 की भूमि 4.9 है0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा उर्फ कोलाना जो कि सिवायचक भूमि थी नामान्तरकरण नं0 138 दिनांक 20.9.10 से राज्य सरकार को विधिवत रूप से सम्पूर्ण प्रक्रिया अपना कर आवंटित कर कब्जे में दी गई है व दखलनामा जारी किया है। प्रतिवादी नं0 1 का लेण्ड होल्डर होना स्वीकार है। वाद पेश करने से पूर्व स्टेट ऑफ राजस्थान की धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस दिया जाना आवश्यक है। धारा 80 सी0पी0सी0 के नोटिस के अभाव में वाद पौषणीय नहीं है। इसके अतिरिक्त विशेष आपत्तियों में निवेदन किया कि वादी का वाद निराधार तथ्यों पर आधारित होने से चलने योग्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि 220 के0वी0डबल सर्किट कोटा थर्मल पावर स्टेशन से 400 के0वी0 पावर ग्रिड सब स्टेशन पी–जी–सी–आई–एल नान्ता के निर्माण में ग्राम नान्ता स्थित वन विभाग की भूमि ख0नं0 1109, 1111, 1112, 1113, 1114,1134, 1176, 1177, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, एवं 1178 की कुल 6.20है0 भूमि अवाप्त की गई इसके बदले राजस्व भूमि वन विभाग को देने की मांग करने पर तहसीलदार द्वारा उक्त वन भूमि के बदले ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा के ख0 नं0 5 रकबा 1.81 है0 व ख0नं0 6 रकबा 4.90 है0 किता 2 रकबा 6.71 है0 किस्म सिवाय चक बंजड में से 6.20है0 आवंटन के प्रस्ताव भिजवाए। उक्त प्रस्ताव राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 5777 दि0 17.5.09 से भिजवाया गया। तदुपरान्त राज्य सरकार की स्वीकृति दिनांक 20.7.10 एवं मण्डल वन अधिकारी के पत्र सं0 10755–56 दिनांक 23.8.10 से दी गई सहमति के क्रम में उक्त 220 के0वी0 डबल सर्किट विद्युत लाईन के निर्माण हेतु ग्राम नान्ता की आराजियात ख0नं0 1109, 1111, 1112, 1113, 1114,1134, 1176, 1173, 1177, 1205, 1206, 1208, 1209, 1210, 1211, एवं 1178 की कुल 6.20है0 वन भूमि के उपयोग में आने के बदले ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा के ख0नं0 5 रकबा 1.81 है0 व ख0नं0 6 रकबा 4.90 है0 किता 2 रकबा 6.71 है0 किस्म सिवाय चक बंजड में से 6.20है0 राजस्व

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

भूमि वन विभाग को हस्तान्तरण करने की स्वीकृति प्रदान की गई। इस हेतु पत्र क्रमांकः प–8ःराजस्वः111–10 I6010 I 18 दिनांक 2.9.10 जिला कलक्टर कोटा द्वारा जारी किया गया।

तद उपरान्त पटवार मण्डल कसार द्वारा दिनांक 10.9.2010 की उक्त ख0नं0 5 व 6 दो किता रकबा 6.41 है0 में से 6.20 है0 भूमि वाके ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा पर प्रतिपक्षी नं0 2 के कर्मचारियों की उपस्थित में दखल दिया जाकर दखल नामा तहरीर किया गया और उक्त भूमि का इन्तकाल नं0 138 दिनांक 20.9.10 को विधिवत रूप से खोला जाकर रेवेन्यू रिकार्ड में अमल दरामद किया जिसकी जमाबन्दी संवत् 2064–2068 जारी की गयी। जमाबन्दी की प्रति पेश है। इस प्रकार ख0नं0 6 वाके ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा पर प्रतिवादी नं0 2 वन विभाग का बहेसियत खातेदार कब्जा चला आ रहा है। वादी ने तथ्यों को तोड मरोड कर वाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किय है जो चलने योग्य नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों से विदित है कि वाद वर्णित ख0नं0 6 की आराजी से वादी का कोई संबंध नहीं है और वादी किसी तरह की कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। उक्त ख0नं0 6 रकबा 1.81 है0 वाके ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा वन विभाग के खाते की भूमि है जिस पर उनका कब्जा है। जवाब दावा पेश कर विनय है कि वादी का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावे तथा वादी से प्रतिवादीगण को विशेष हर्जा दिलाया जावे।

दौराने वाद प्रकरण के बहस में आने पर उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम सुनी गई। वादी अभिभाषक द्वारा वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि इस सम्बन्ध में उनके द्वारा माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, कोटा में प्रकरण संख्या 21/2002 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वादी के दस्तावेजात के आधार पर वादीगण की आराजी की इन्द्राज दुरूस्ती करवाया जाना सुनिश्चित करें। इसी आधार पर वादी को आवंटित आराजी के अनुरूप खातेदारी प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। वादीगण द्वारा कथन किया कि राजस्व मण्डल व राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुये उक्त आवंटन भूमि तीन वर्ष के पश्चात स्वतः ही खातेदारी अधिकार 1970 नियम 18 के तहत तहसीलदार का यह कर्तव्य है कि उस भूमि को खातेदारी में परिवर्तित किया जाना चाहिये, अगर उक्त भूमि का विधिवत आवंटन हुआ है। इसके समर्थन में आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1220, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 200, आर.आर.टी. 2016(1) पेज 559 में उल्लेखित किया गया है कि उक्त भूमि का सुस्तीकरण भू राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं किया गया है तो भी उसका इन्द्राज किया जाना आवश्यक है तथा सेटलमेन्ट विभाग को आवंटन भूमि का इन्द्राज वादी के नाम करना चाहिये था, जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नहीं किया जाकर उक्त भूमि को सेटलमेन्ट विभाग ने सिवायचक दर्ज कर दिया। सेटलमेन्ट विभाग को यह अधिकार नहीं है कि सेटलमेन्ट के पूर्व के इन्द्राज को विलोपित कर सके या उसमें रद्दोबदल कर सके। इसके समर्थन में आर.एल.डबल्यू 2006 (1) आर. जे. 290, आर.आर.टी. 2013 (1) पेज 391, आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244, आर.आर.टी. 2008 (1) पेज 151 एच.सी., आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 244 एच.सी., व 200 आर.आर.टी. 1993 पेज 44 प्रस्तुत है। उक्त नजीरों के आधार पर सेटलमेन्ट को बिना विधिक प्रक्रिया के या बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रविष्टि में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी वकील द्वारा अपने जवाब दावा के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वन विभाग को उक्त आराजी पर दखलनामा दिया जा चुका है।

हमने उभय पक्ष के अभिभाषकगणों की बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
कोटा (राज.)

हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादी के पिता को आराजी का विधिवत आवंटन हुआ था। तथा इसी आवंटन के फलस्वरूप विवादित आराजी को उनकी गैरखातेदारी में दर्ज किया गया था। साथ ही यह भी सही है कि वन विभाग के खाते दर्ज आराजी को किसी अन्य के खाते दर्ज किया जाना माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित है। इस सम्बन्ध में हम पाते है कि वादी को खसरा नम्बर 34 की 10 बीघा का आवंटन हुआ था। दौराने सेटलमेन्ट उक्त खसरा नम्बर 34 के नये खसरा नम्बर 6,13,14,15,16, 17 कायम किये गये है। इनमें से खसरा नम्बर 6 व 13 वन विभाग के खाते दर्ज कर दिया गया है। इसी प्रकार इसी प्रकार खसरा नम्बर 15, 16, 17 अन्य खातेदार के खाते दर्ज रेकार्ड है। इनमें से शेष रहे खसरा नम्बर 14 की 9.38 हैक्टर आराजी राज. सरकार के खाते सिवायचक दर्ज है। तथा खसरा नम्बर 6 के कुल रकबा 4.90 हैक्टर में से 4.39 हैक्टर वन विभाग में दर्ज कर दिये जाने से वर्तमान में खसरा नं. 6 में 0.51 हैक्टर आराजी शेष है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति के अनुसार ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की वर्तमान में राजकीय सिवायचक दर्ज खसरा नम्बर 14 की 1.09 हैक्टर आराजी कम करके खसरा नं. 14 का रकबा 8.29 हैक्टर दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 6 के 0.51 हैक्टर में 1.09 हैक्टर जोडते हुये खसरा नम्बर 6 का रकबा 1.60 हैक्टर दर्ज करते हुये आवंटी सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 केशोराम जी, जाति राजपूत आयु 55 वर्ष निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा को खसरा नम्बर 6 का खातेदार घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 6 की 1.60 हैक्टर आराजी वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12 सितम्बर, 2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोटा

प्रमोद कुमार सिन्धव
R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.), कोटा

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी :– **प्रमोद कुमार सिन्धव, आर0ए0एस0**

बउनवान :

1 सुरेन्द्र सिंह आत्मज स्व0 केशोराम जी, जाति राजपूत निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा

वादी

बनाम

1 स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, नायब तहसील मण्डाना, जिला कोटा
2 वन विभाग, कोटा जरिये मण्डल वन अधिकारी, कोटा

प्रतिवादीगण

दावा बाबत : 88, 89. 92A, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 83/15
निर्णय दिनांक : 12.09.2017

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से वादी वकील श्री शम्भू दयाल विजय एवं प्रतिवादी वकील श्री गोविन्द सिंह की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 12–09–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार सिन्धव आर.ए.एस. के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर सेटलमेन्ट के पूर्व की स्थिति के अनुसार ग्राम कोलाना उर्फ लक्ष्मीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की वर्तमान में राजकीय सिवायचक दर्ज खसरा नम्बर 14 की 1. 09 हैक्टर आराजी कम करके खसरा नं. 14 का रकबा 8.29 हैक्टर दर्ज किये जाने तथा खसरा नम्बर 6 के 0.51 हैक्टर में 1.09 हैक्टर जोडते हुये खसरा नम्बर 6 का रकबा 1.60 हैक्टर दर्ज करते हुये आवंटी सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 केशोराम जी, जाति राजपूत आयु 55 वर्ष निवासी कुन्हाडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा को खसरा नम्बर 6 का खातेदार घोषित किया जाकर खसरा नम्बर 6 की 1.60 हैक्टर आराजी वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

यह डिक्री आज तारीख 12.09.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(प्रमोद कुमार सिन्धव)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक कोटा (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिये स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 3. अदर्शो के लिये स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प 2. अर्जी के लिये स्टाम्प 3. प्लीडर के लिये फीस 4. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय 4. आदेशिका की तामिल 5. कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

पीठासीन अधिकारी – प्रमोद कुमार सिन्धव, R.A.S.

क्रमांक : एसीएम/रीडर/2017/1403 **दिनांक** : 14/11/2017

तहसीलदार,
तहसील लाडपुरा,
जिला कोटा (राज0)

पटवार हल्का : कोलाना

विषय : न्यायालय के प्रकरण संख्या 83/15 के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2017 की पालना बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण संख्या 83/15, बउनवान सुरेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2017 की प्रति संलग्न कर हेतु भिजवाई जा रही है।

अतः न्यायालय के उनवानी निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2017 के अनुसरण में पालना की जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार निर्णय व डिक्री

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मु.),
कोटा